प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 3083/2005

पुनीलाल चौहान ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु सूची बद्ध किया गया 05/02/2010

सही /-

श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ. : माननीय न्यायाधीश श्री सतीश के अग्निहोत्री

रिट याचिका संख्या 3083/2005

पुनीलाल चौहान ..... **याचिकाकर्ता**

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य ..... **उत्तरवादीगण**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रतीक शर्मा, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री एन.एन. रॉय, पैनल अधिवक्ता।

---

1. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग की है कि वे उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तिथि अर्थात 29-8-2000 से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार करें।

2. संक्षेप में, मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा पेश किया गया है, ये हैं कि याचिकाकर्ता को 29-6-1963 के आदेश द्वारा आयुर्वेद कंपाउंडर के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से आयुर्वेद रत्न उत्तीर्ण किया। जो व्यक्ति याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, उन्हें पदोन्नत किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता को अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है। उक्त कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 3062/ 2004 (पुनी लाल चौहान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य) के रूप में एक याचिका दायर की है। उक्त रिट याचिका को इस न्यायालय ने 4-1-2005 के आदेश (अनुलग्नक-पी/7) द्वारा निपटा दिया था, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, याचिकाकर्ता ने अपना अभ्यावेदन दिनांक 10-1-2005 (अनुलग्नक-पी/8) प्रस्तुत किया, जिसे निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी ने दिनांक 27-4-2005 के आदेश (अनुलग्नक-पी/9) द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता ने सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं की है। अतः यह याचिका प्रस्तुत की गई है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक शर्मा ने प्रस्तुत किया कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने याचिकाकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर उसके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास जो योग्यता है वह उसकी पदोन्नति के लिए पर्याप्त है। सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए म.प्र./छ.ग. लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी) तृतीय

श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम, 1987 (संक्षेप में "नियम, 1987") के नियम 14 के अनुसार पात्र होने के बावजूद, उत्तरवादी प्राधिकारियों ने जानबूझकर याचिकाकर्ता को पदोन्नत नहीं किया है, जबकि याचिकाकर्ता से कनिष्ठों को पहले ही पदोन्नत किया जा चुका है। उत्तरवादी प्राधिकारियों ने नियम, 1987 के प्रावधानों की गलत व्याख्या की है।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री एन.एन. रॉय ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि उसके पास अपेक्षित योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता ने वर्ष 1995 में आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्राप्त की थी, जो सहायक सचिव (पंजीकरण), भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दिनांक 13-8-2004 (अनुलग्नक-आर/1) के अनुसार मान्यता प्राप्त उपाधि नहीं है। श्री रॉय ने आगे तर्क दिया कि सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के केवल 40% पद ही आयुर्वेद स्नातक कम्पाउंडरों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने थे। याचिकाकर्ता के पास आयुर्वेद स्नातक की योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता ने सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कनिष्ठों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, तर्कों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया है।

6. सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु योग्यता, नियम 1987 की अनुसूची III, नियम 8 के अंतर्गत निर्धारित है, अर्थात् एल.ए.पी. भिषगाचार्य एवं आयुर्वेदाचार्य के साथ बी.ए. भाग I। नियम 13 में कंपाउंडर के पद से

सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रावधान है। नियम 1987 की अनुसूची IV, नियम 14 के अंतर्गत कंपाउंडर के पद पर तीन वर्ष के अनुभव के अलावा कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

7. याचिकाकर्ता के अनुसार, याचिकाकर्ता ने वर्ष 1995 में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता नियमावली, 1987 के अन्तर्गत सहायक आयुर्वेद चिकित्साधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु अपेक्षित योग्यता रखता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. सभी राज्य बोर्डों/परिषदों के रजिस्ट्रारों को संबोधित, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, नई दिल्ली के सहायक सचिव (पंजीकरण) के दिनांक 13-8-2004 के पत्र (अनुलग्नक-आर/1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल 1931 से 1967 तक हिंद साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रदान की गई आयुर्वेद रत्न अर्हताओं को ही **दिल्ली प्रदेश पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी बनाम स्वास्थ्य निदेशक, दिल्ली प्रशासन सेवाएँ एवं अन्य**[1] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर पंजीकरण हेतु मान्यता दी गई थी। इस प्रकार, 1967 के बाद हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से प्राप्त किसी भी अर्हता को मान्यता नहीं दी गई।

9. याचिकाकर्ता ने वर्ष 1995 में हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग से आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इस प्रकार, राज्य का यह तर्क कि याचिकाकर्ता के पास अपेक्षित योग्यता नहीं है, क्योंकि हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दी गई, सही और उचित है।

10. श्री शर्मा का दूसरा तर्क यह है कि चूंकि कम्पाउंडर के पद से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई थी, इसलिए नियम, 1987 की अनुसूची III नियम 8 के तहत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता अर्थात एल.ए.पी. भिषगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य के साथ बी.ए. भाग-1 वर्तमान मामले पर लागू नहीं है।

11. याचिकाकर्ता ने उच्चतर माध्यमिक योग्यता प्राप्त की है और हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रदान किया गया आयुर्वेद रत्न परीक्षा प्रमाण पत्र पहले ही अप्रमाणित घोषित किया जा चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. नियम, 1987 के नियम 8(2) और 14 इस प्रकार हैं:

> **"8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें** - चयनित होने के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात-
>
> (1) XXX XXX XXX
> XXX XXX XXX
> XXX XXX XXX

[1]

[1] 1 (1997)11 SCC 687

(2) शैक्षणिक योग्यताएं.- अभ्यर्थी के पास अनुसूची II के स्तंभ (5) में पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए।

14. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.-(1) उप-नियम (2) के प्रावधानों के अधीन, विभागीय पदोन्नति समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को कम से कम उतने वर्षों की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो [चाहे मौलिक हो या स्थानापन्न जैसा कि अनुसूची IV के स्तंभ (4) में निर्दिष्ट है], उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में उल्लिखित पद पर या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी पद या पदों पर। लिपिकीय पदों पर पदोन्नति, जिनमें लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य है, केवल उन्हीं व्यक्तियों में से की जाएगी जिनमें लेखा प्रशिक्षण अनिवार्य है, अगले कनिष्ठ पदों पर कार्यरत व्यक्तियों में से ही की जाएगी, जहाँ व्यक्तियों ने लेखा में योग्यता प्राप्त कर ली है, जिन व्यक्तियों को निर्धारित पदों के विरुद्ध लेखा में योग्यता प्राप्त किए बिना पदोन्नत किया गया था, उन्हें पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के भीतर लेखा में योग्यता प्राप्त करनी होगी.

परन्तु यह कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल निर्धारित सेवा पूरी करने के आधार पर उससे वरिष्ठ व्यक्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर वरीयता देते हुए चयन ग्रेड/पदोन्नति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(2) चयन का क्षेत्र सामान्यतः योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के सात गुना तक सीमित होगा और वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या के पांच गुना तक सीमित होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

परन्तु यदि अपेक्षित संख्या में उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों, तो क्षेत्र को समिति द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली सीमा तक लिखित में कारण बताकर विस्तारित किया जा सकता है ।"

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **आर. प्रभा देवी एवं अन्य बनाम भारत सरकार, द्वारा-सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं अन्य**[2] के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की:-

"15.....पदोन्नति हेतु विचार हेतु पात्रता की शर्त निर्धारित करना नियम-निर्माता प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में है। पदोन्नति हेतु विचार किए जाने हेतु पात्र होने हेतु,

अनुभाग अधिकारियों, जिनमें वरिष्ठ सीधी भर्ती वाले अधिकारी भी शामिल हैं, को यह पात्रता शर्त पूरी करनी होगी। जब किसी विशिष्ट संवर्ग में किसी पद पर नियुक्ति के लिए योग्यताएँ निर्धारित की जाती हैं, तो किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार किए जाने से पहले उन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। किसी विशिष्ट संवर्ग में वरिष्ठता किसी लोक सेवक को उच्च पद पर पदोन्नति का हकदार नहीं बनाती, जब तक कि वह संबंधित नियमों द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्त पूरी नहीं करता। किसी व्यक्ति को पदोन्नति के लिए विचार किए जाने से पहले उस पद के लिए निर्धारित योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति के लिए पात्र होना चाहिए। वरिष्ठता केवल पात्र व्यक्तियों के बीच ही प्रासंगिक होगी। वरिष्ठता को पात्रता के स्थान पर नहीं रखा जा सकता और न ही अगले उच्च पद पर पदोन्नति के मामले में इसे रद्द किया जा सकता है। विचाराधीन नियम, जो अर्हक सेवा की एक समान अवधि निर्धारित करता है, को मनमाना या अन्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जो संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन करता है, जैसा कि न्यायाधिकरण ने दृढ़तापूर्वक माना है। :"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम जे.पी. चौरसिया एवं अन्य** में, माननीय सर्वोच्च न्यायाल[2]य ने यह अवधारित किया कि:-

> "29..सेवा मामलों में, प्रशासन में दक्षता को बढ़ावा देने के लिए योग्यता या अनुभव वर्गीकरण का उचित आधार हो सकता है। वह अनुभव से भी उतना ही सीखता है जितना अन्य तरीकों से। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लंबे अनुभव वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए काम की गुणवत्ता नए लोगों के काम से बेहतर है। यहां तक कि रणधीर सिंह मामले (1982) 1 एससीसी 618, (1982) 3 एससीआर 298 में भी इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। न्यायमूर्ति ओ. चिन्नप्पा रेड्डी ने पाया कि शैक्षणिक योग्यता या अनुभव या सेवाकाल के आधार पर अधिकारियों को अलग-अलग वेतनमानों के साथ दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना उचित है। इसके अलावा, पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण ठहराव या परिणामी निराशा से बचने के लिए उच्च वेतनमान, करियर सेवा में बहुत आम है....."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य**[4] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय यह अवधारित किया कि "जहां अधिनियम की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है, वहां न्यायालय को उसे लागू करना ही होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हों, [3]क्योंकि उस

---

[2] (1988) 2 SCC 233

[3] (1989) 1 SCC 121

[3][4] 1995 Supp (1) SCC192

स्थिति में कानून के शब्द विधायिका की मंशा को दर्शाते हैं। रेखांकित स्थान पर 'या' का प्रयोग न्यायिक विधान बनाने या उसे पूरा करने में चूक के समान है, जो कि विनियामक अधिनियम के निर्माण की प्रक्रिया में अनुचित है।"

[4]16. **मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम धरम बिर** [5] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि:-

> 33. विचाराधीन पद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य का है। सरकार ने इस पद के लिए अनिवार्य योग्यता के रूप में इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा निर्धारित किया है। इस पद पर किसी भी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जा सकती जिसके पास यह योग्यता न हो। शैक्षणिक योग्यता का पद की प्रकृति से सीधा संबंध है। प्रधानाचार्य को कक्षाएं लेने और छात्रों को पढ़ाने का अवसर भी मिल सकता है। जिस व्यक्ति के पास इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को इंजीनियरिंग विषय और उसकी विभिन्न शाखाओं की तकनीकी जानकारी संभवतः नहीं दे सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. **राजस्थान लोक सेवा आयोग बनाम कैला कुमार पालीवाल एवं अन्य**[6]**,** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया कि:-

> "9. राजस्थान राज्य के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवाएँ राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 और राजस्थान शैक्षिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 द्वारा शासित होती हैं।

---

[45] (1998) 6 SCC 165

[6] (2007) 10SCC 260

अधीनस्थ सेवाओं में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट पद शामिल हैं। शिक्षक, ग्रेड III और प्रयोगशाला सहायक, दोनों ही "अधीनस्थ सेवाओं" के दायरे में आते हैं। शिक्षक, ग्रेड III के पद के लिए न्यूनतम योग्यता प्रशिक्षण प्रमाणपत्र के साथ मैट्रिकुलेशन है, जबकि प्रयोगशाला सहायक के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में विज्ञान के साथ माध्यमिक शिक्षा आवश्यक है।

13. यह कहना पुनः आवश्यक है कि प्रधानाध्यापक के पद 1970 के नियमों द्वारा शासित होते हैं। प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पाँच वर्ष का शिक्षण अनुभव आवश्यक है, जिसके आधार पर कुछ श्रेणियों या पदों पर निश्चित क्षमता में शिक्षण कार्य किया जा सकता है।

14. इसलिए यह स्वीकार करना कठिन है कि जो लोग मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक शिक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के साथ शिक्षक, ग्रेड III के पद पर कार्यरत थे, वे माध्यमिक कक्षाओं या उच्चतर कक्षाओं में पढ़ाने के हकदार होंगे"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. "इसमें कोई विवाद नहीं है कि नियम 1987 के नियम 8(2) के अंतर्गत अनुसूची II के स्तंभ (5) (अनुसूची III के स्तंभ (5)) में दी गई सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एल.ए.पी. भिषगाचार्य एवं आयुर्वेदाचार्य के साथबी.ए. भाग-1 है।

19. नियम 1987 के नियम 14 में पदोन्नति हेतु पात्रता की शर्तें निर्धारित हैं। अनुसूची IV के कॉलम (4) में निर्दिष्ट योग्यता निर्धारित है, जिसमें सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता प्रदान नहीं की गई है, लेकिन कंपाउंडर के पद पर केवल 3 वर्ष का अनुभव प्रदान किया गया है। यह कहीं भी प्रदान नहीं किया गया है कि उम्मीदवार के पास सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधे या अन्यथा नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कंपाउंडर के पद पर तीन वर्ष के अनुभव को छोड़कर, सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील का यह तर्क कि कम्पाउंडर के पास आयुर्वेद स्नातक की अपेक्षित योग्यता के साथ 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, नियम, 1987 में कहीं नहीं पाया जाता है, अस्वीकार किए जाने योग्य है।

21. **जे.पी. चौरसिया** (पूर्वावत) मामले में, यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि सेवा संबंधी मामलों में, प्रशासन में दक्षता बढ़ाने के लिए योग्यता या अनुभव वर्गीकरण का उचित आधार हो सकता है, जैसा कि **डॉ. गंगा प्रसाद वर्मा** (पूर्वावत) मामले में स्पष्ट किया गया है कि यदि अधिनियम की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है, तो न्यायालय को उसे लागू करना ही होगा, चाहे परिणाम कुछ भी हों। **धर्मबीर** (पूर्वावत) मामले में, जो नियम विचाराधीन था, सीधी भर्ती के साथ-साथ पदोन्नति के लिए भी योग्यता का स्पष्ट प्रावधान करता है, जो दोनों मामलों में समान था।

22. राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम, 1970 में निर्धारित पात्रता मानदंड और न्यूनतम योग्यता पर **राजस्थान लोक सेवा आयोग** (पूर्वावत) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था, जिसमें कंडिका (3) में नियुक्ति की दोनों विधियों के लिए प्रतिशत के साथ भर्ती की विधि का विवरण निर्धारित किया गया था।

23. पूर्वोक्त निर्णयों में एक सामान्य बात यह है कि यदि वैधानिक नियमों और विनियमों के अंतर्गत न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं, तो केवल अनुभव को पदोन्नति पर विचार हेतु मानदंड नहीं बनाया जा सकता। प्रस्तुत मामले में, कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं की गई है; पदोन्नति पर विचार हेतु अनुभव को ही योग्यता माना जाएगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. उपरोक्त विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जहाँ कंपाउंडर के पद से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि विधान-मंडल का आशय स्पष्ट था कि यदि कोई कंपाउंडर तीन वर्ष तक कार्यरत है, तो उसका अनुभव सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम योग्यता होगी। यह भी स्पष्ट है कि वैधानिक नियमों और विनियमों के प्रावधानों को अधिसूचनाओं या कार्यकारी निर्देशों द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है, हालाँकि न्यायालय के संज्ञान में यह नहीं लाया गया है कि नियमों में बाद में कोई अधिसूचना, कार्यकारी निर्देश या संशोधन हुआ था।

25. यह एक सामान्य कानून है कि किसी वैधानिक नियम के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए अनुबंधित विषय का प्रयोग स्वीकार्य नहीं है। न्यायालय को भाषा की जाँच करनी

होगी, यदि वह स्पष्ट और सुस्पष्ट है, तो स्पष्टीकरण विधायिका के उस आशय को विफल कर सकता है, जो वैधानिक नियमों या विनियमों में व्यक्त किया गया है।

26. **पी.टी. राजन बनाम टी.पी.एम. साहिर और अन्य**[7] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:-

> "48. इसके अलावा, भले ही कानून मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए समय निर्दिष्ट करता हो, वही अपने आप में अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। ऐसा प्रावधान प्रकृति में निर्देशिका होगा। यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां एक वैधानिक कृत्यकारी को निर्धारित समय के भीतर वैधानिक कर्तव्य निभाने के लिए कहा जाता है, वही निर्देशिका होगी और अनिवार्य नहीं होगी।
>
> (शिवेश्वर प्रसाद सिन्हा बनाम जिला मजिस्ट्रेट, मुंगेर एवं अन्य , नोमिता चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं अन्य एवं गरबारी यूनियन को-ऑपरेटिव एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड एवं अन्य बनाम स्वपन कुमार जाना और अन्य देखें)
>
> 50. न्यायालय, यह सामान्य बात है, कि कोई अनुबंधित विषय नहीं बता सकता। इस संबंध में डॉ. बलिराम वमन हिरे बनाम न्यायमूर्ति बी. लेंटिन एवं अन्य , एआईआर (1988) एससी 2267 का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसमें यह कहा गया था:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

'27. कानून निश्चित और सुनिश्चित होना चाहिए। यदि कानून की किसी भी विशेषता को मानक माना जा सकता है, तो वह न्यायिक निर्णय लेने में निरंतरता की आवश्यकता जैसे मूलभूत सिद्धांत हैं। निरंतरता की यही आवश्यकता कानून को उसकी कठोरता प्रदान करती है। साथ ही, [5]लचीलेपन की भी आवश्यकता है। हमारे समय के अग्रणी विचारकों में से एक माने जाने वाले प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट ने अपनी प्रभावशाली पुस्तक 'द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ' में एक न्यायाधीश के लिए निश्चितता और लचीलेपन के बीच संतुलन बनाने के कठिन कार्य का चित्रण किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "जहाँ किसी क़ानून की भाषा में अस्पष्टता होती है, वहाँ भ्रम और अव्यवस्था पैदा होती है। निस्संदेह, न्यायालय अपने फैसले इस तरह से बनाती हैं कि ऐसा लगता है कि उनके फैसले पूर्व निर्धारित नियमों का आवश्यक परिणाम हैं। बहुत ही साधारण मामलों में ऐसा हो सकता है; लेकिन न्यायालयों को परेशान करने वाले अधिकांश मामलों में, न तो क़ानून और न ही ऐसे उदाहरण जिनमें नियम वैध रूप से निहित हैं केवल एक ही पुनर्विचार की अनुमति देते हैं। सबसे

[5][7] (2003) 8 SCC 498

महत्वपूर्ण मामलों में हमेशा एक विकल्प होता है। न्यायाधीश को क़ानून के शब्दों को दिए जाने वाले वैकल्पिक अर्थों के बीच या किसी मिसाल के अर्थ की परस्पर विरोधी व्याख्याओं के बीच चयन करना होता है। केवल यह परंपरा कि न्यायाधीश कानून 'ढूंढते' हैं, 'बनाते' नहीं है इस बात को पाती है, और निर्णयों को इस तरह प्रस्तुत करती है मानो वे निष्कर्ष हों जो स्पष्ट पूर्व-मौजूदा नियमों से, न्यायाधीश के हस्तक्षेप किए बिना, सहजता से निकाले गए हों।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपर्युक्त कारणों से, यह माना जाता है कि सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित कोई न्यूनतम योग्यता, कम्पाउंडर के पद से सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए नियम, 1987 के तहत तीन वर्ष के अनुभव को छोड़कर निर्धारित नहीं है।

28. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के मामले पर सहायक आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उस तिथि से नए सिरे से विधि के अनुसार विचार करें, जिस तिथि को उसके कनिष्ठों को उक्त पद पर पदोन्नत किया गया था,

29. वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।

सही /-

श्री सतीश के अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Adv. Rakesh Kumar Kashyap